2(2) अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों तथा उपक्रमों/ निगमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों/निकायों तथा भारत सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्राणाधीन सभी कार्यालयों/संस्थानों आदि के कोड-मैनुअल, फार्म और अन्य कार्य-विधि साहित्य आदि के अनुवाद का कार्य करता है । इसके अतिरिक्त उपर्युक्त सभी कार्यालयों में अनुवाद तथा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन आदि के कार्य से जुडे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुवाद का प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

अनुवाद

- केंद्र सरकार द्वारा गठित प्रतिष्ठित आयोगों एवं समितियों की रिपोर्ट जैसे पांचवे वेतन आयोग, जैन जांच आयोग, सरकारिया आयोग, **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग** जैसे महत्वपूर्ण आयोगों की रिपोर्ट का अनुवाद कार्य ।

- **राष्ट्रपति के अभिभाषण, प्रधानमंत्री द्वारा देश तथा विदेश में दिए जाने वाले भाषणों** के अनुवाद तथा अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री का अनुवाद ।

अनुवाद प्रशिक्षण

त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

5 दिवसीय अल्पकालीन अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

उच्चस्तरीय/पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (पांच दिवसीय)

विशेष अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम